

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/45392/MRB/MORADABAD/644/CFO

दिनांक: 01-03-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **NAZIYA PARVEEN** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **112 MIN 113, 114-1 Kashipur Tiraha, RAMPUR ROAD, MORADABAD** तहसील - **MORADABAD** प्लॉट एरिया **521.27 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **23.31** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
DANIA FUEL PUMP	1	0	3.0 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **NAZIYA PARVEEN** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Storage** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **NAZIYA PARVEEN** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : FSO की आख्या के अनुसार प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल तक अग्निशमन वाहन आणजा सकते हैं। उक्त के लाइसेन्स निर्गत सत्ताप्राधिकारी के शर्तों का पेट्रोलियम एक्ट 1934 एण्ड रिलेटिड ततसमय पेट्रोलियम रूल्स 2002 व oisd 225के प्राविधानों अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था वांछनीय होगी आवेदक द्वारा उक्त का अनुपालन अधिकृत लाइसेन्स निर्गत कर्ता सत्ताप्राधिकारी / अधिकृत अधिकारी से अपेक्षित होगा। 1- abc type fire extinguisher 09 kg, 5 अदद, 2. co2 fire extinguisher 4.5 kg. 03 अदद, 3. fire extinguisher foam 09 ltr 04 अदद, 4. foam trolley क्षमता 45 लीटर. 02 अदद, 5. पेंसैण्ड रिजर्व स्टोर 100 घनफुट, 6- बेलचा 03 अदद, 7- धूम्रपान निषेध बोर्ड में 8. ध्सेण्ड बकेट्स 10 अदद, निर्माण कार्य अपलोड मानचित्र के अनुसार वांछनीय होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

Note : FSO की आख्या के अनुसार प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल तक अग्निशमन वाहन आणजा सकते हैं। उक्त के लाइसेन्स निर्गत सत्ताप्राधिकारी के शर्तों का पेट्रोलियम एक्ट 1934 एण्ड रिलेटिड ततसमय पेट्रोलियम रूल्स 2002 व oisd 225के प्राविधानों अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था वांछनीय होगी आवेदक द्वारा उक्त का अनुपालन अधिकृत लाइसेन्स निर्गत कर्ता सत्ताप्राधिकारी / अधिकृत अधिकारी से अपेक्षित होगा। 1- abc type fire extinguisher 09 kg, 5 अदद, 2. co2 fire extinguisher 4.5 kg. 03 अदद, 3. fire extinguisher foam 09 ltr 04 अदद, 4. foam trolley क्षमता 45 लीटर. 02 अदद, 5. पेंसैण्ड रिजर्व स्टोर 100 घनफुट, 6- बेलचा 03 अदद, 7- धूम्रपान निषेध बोर्ड में 8. ध्सेण्ड बकेट्स 10 अदद, निर्माण कार्य अपलोड मानचित्र के अनुसार वांछनीय होगा।

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(MUKESH KUMAR)

[12940D2B2D747A34F32663F67D7C889B7FE3F55B]

12-03-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 12-03-2022
स्थान : MORADABAD

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विधिवत गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office